मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 132/2025

1. गुरविन्द्र सिंह   पिसरान हरबंश सिंह पुत्र श्री ज्वाला सिंह जाति जटसिख
2. सिकन्दर सिंह   निवासीगण 12 एसटीबी, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—वादीगण

बनाम

1. हरबंश सिंह पुत्र ज्वाला सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. निन्द्रपाल कौर हरबंश सिंह पत्नी जसवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 17 केएसपी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पुरानी मण्डी पीलीबंगा जरिए शाखा प्रबंधक।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

——प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :– 25/08/2025

वादीगण की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अधिवक्ता श्री कमलेश कुमार व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर डिक्री की जाती है तथा घोषणा की जातील है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 13 एसटीबी के खाता संख्या 141/133 के पत्थर नंबर 18/346 (20) किला नंबर 3/1, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 22/2, 23, 24, 25/1, 25/2 की 3.871 है0 कमाण्ड मय गैरमुमकिन खाला खातेदारी में वादीगण 1/3–1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा इसी अनुसार अमल दरामद राजस्व अभिलेख मे किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना न होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजकीय बकाया न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अमल दरामद किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदारी पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 25/8/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:52:58 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा